

B.A. - 1st
Paper - 1st

Pol. Sc

Comparative Government and Politics

प्रश्न: - फ्रांस के फंफम गभरलन के संविधान की विशेषताओं का उल्लेख करें।
(Main features of French (फ्रांस) Constitution)

पंचम गभरलन का संविधान राष्ट्रपति डिगाल (Charles De Gaulle) के मार्गदर्शक की देन है। इसे डिगाल संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें गभरलवाद तथा बौनापरवाद का अद्भुत मिश्रण देखा जा सकता है।

प्रमुख आधुनिक व्यवस्थाओं के अन्वय में फ्रांस की शासन व्यवस्था को शामिल करने के कुछ प्रयत्नकारण हैं। यह 1789 ई. में अहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता, समानता, न कर्तुता के नारे लगाये तथा उनकी राष्ट्रीय सभा ने मानव व उनके अधिकारों की घोषणा (Declaration of the Rights of Man and Citizen) पारित की। इस द्वाँराने सिविल सभ्यता को समाप्त करके गभरलकीय व्यवस्था स्थापित की और इस प्रकार फ्रांस ब्रिटेन और अमेरिका के तरह प्रतिनिधि लोकतंत्र का आगमन हुआ। कुछ समय के पश्चात नेपोलियन बोनापार्ट ने इस व्यवस्था को पलट दिया और बोनापार्ट के राजतंत्र की बहाली हुई। फ्रांस की जनता एक सकल कार्यपालिका तथा सबस संसद की व्यवस्था बनाने में उत्सुक रहे इसके कारण पुराने संविधान के स्थान पर नये संविधान आते चले गये। प्रथम गभरलन 1792 से 1799 तक चला, दूसरा गभरलन 1804 से 1851 तक चला, तीसरा गभरलन 1870 से 1940 तक चला चौथा गभरलन 1946 से 1958 तक चला और अब पाँचवा गभरलन जिसकी स्थापना 1958 में इस समय के राष्ट्रपति 'चार्ल्स डिगाल' (Charles De Gaulle) ने किया 1789 के द्वाँराने फ्रांस में 16 संविधानों को देखा। इन परन्तुओं ने यह उजागर किया कि फ्रांस की जनता ने अन्त में राजतंत्र को उन्हे गभरलन को ही पसन्द किया।

पंचम गभरलन जब अस्तित्व में आया तो नये-नये पदवर्धों को गभरलन में जोड़ा गया जैसे - जनरल डिगाल द्वारा राशित 'राशेमान', 'संसदीय समाज' 'एक अवसर पर दस्तावेज' आदि। फ्रांस के फंफम गभरलन के संविधान को प्रमुख विशेषताओं को हम निम्न लिखे रूप में व्यक्त कर सकते हैं।

1. प्रस्तावना: - इस संविधान की शुरुआत 1946 ई. की प्रस्तावना से शुरू हुई। 1946 ई. की प्रस्तावना के सभी मूलतत्त्व इस प्रस्तावना में मिले हैं। इस संविधान में अधिकारों या सार्वभौमिकता सम्बन्धी सिद्धान्तों को निरस्त नहीं

(2)

नहीं की गयी है, बल्कि 1946 ई० के संविधान द्वारा अपनाये गये सिद्धान्तों को अमल में लाने का काम किया गया है।

2. संकट काल का शिष्ट : — इस संविधान को संकट काल का शिष्ट कहा जाता है। फ्रांस ने पंचम गणतंत्र का निर्माण ऐसे समय में हुआ जब फ्रांस पर राजनीतिक संकट के बादल मंडरा रहे थे। फ्रांस के उपनिवेश धीरे-धीरे हाथ से निकलते जा रहे थे। देश में गृह युद्ध की स्थिति थी। ऐसी स्थिति में इस गणतंत्र को संविधान निर्माण का काम सौंपा गया।

3. लिखित संविधान : — तृतीय तथा चतुर्थ गणतंत्र के संविधान की तरह ही यह संविधान भी लिखित है। इसमें शासन के लगभग समस्त पक्षों की विवेचना की गयी है। 1946 ई० के संविधान से दोरा संविधान है। इसमें 15 अध्याय तथा 92 अनुच्छेद हैं। यह अपूर्ण तथा अस्पष्ट संविधान है।

4. धर्म निरपेक्ष, प्राजातान्त्रिक तथा सामाजिक गणराज्य : — वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 2 के द्वारा फ्रांस को एक आविर्भाव धर्म निरपेक्ष, प्राजातान्त्रिक तथा सामाजिक गणराज्य घोषित किया गया है। इसमें कानून के समक्ष सभी नागरिकों के लिए जन्म जाति अपना धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना समानता की व्यवस्था की गयी है और जनता द्वारा, जनता के लिए जनता का शासन उसका सिद्धान्त है।

5. राष्ट्रपति के शाक्ति में वृद्धि : — पंचम गणतंत्र के संविधान की प्रमुख विशेषता राष्ट्रपति के शाक्ति में क्रान्तिकारी परिवर्तन है। इस संविधान में राष्ट्रपति के अधिकारों अप्रत्याशित वृद्धि की गयी है। राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार दिए गये हैं जिसका प्रयोग वह स्वयं करता है। संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार राष्ट्रपति को आपातकालीन शाक्तियों दी गयी हैं, जिसका प्रयोग वह स्वयं करता है।

6. एकात्मक व्यवस्था : — अमेरिका तथा स्वीट्जरलैंड से मिलते मिलते ब्रिटेन के समान एकात्मक व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार के पास सारी शक्तियाँ हैं। स्थानीय प्रशासन को स्वतंत्र देश में प्रादेशिक क्षेत्र हैं जो दो-दोटे एककों में बड़े हुए हैं किन्तु वे केन्द्र सरकार के अधीन हैं, उन्हें स्वायत्तता प्राप्त नहीं है। संसद के बनाये कानून से ही स्थानीय सरकारें अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती हैं। यहाँ स्थानीय निकायों पर केन्द्र का नियंत्रण अधिक कठोर है। गृह विभाग का नियंत्रण इतना कठोर है कि वरन इकतारे सारे तार पेरिस में बजने लगते हैं।

7. शासकी विभाजन : — पंचम गणतंत्र के संविधान में शासकी विभाजन का सिद्धान्त लागू किया गया है। कार्यपालिका को प्रधान पालिका से चुपक करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन राज्य द्वारा न होकर एक ~~विशेष~~ निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाना गया है। इस प्रकार जनसंविधान के द्वारा व्याप्तियों का पूर्ण प्रतिकूलण कर दिया गया है।

8. विधायन प्रणाली : — पंचम गणतंत्र संविधान में विधायन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। एक अस के मुख्य शक्ति के लिए और दूसरे अस के मुख्य शक्ति के लिए अपान उपनिवेशों के संगठन के लिए युद्धास का शासन संघात्मक व्यवस्था के समान है। इस व्यवस्था के द्वारा उपनिवेशों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है।

9. संविधान सभा का अभाव : — पंचम गणतंत्र के संविधान निर्माण हेतु विशेष संवैधानिक सभा का आयोजन नहीं हुआ। वि. गोखले सरकार ने कुछ विरोधियों एवं परामर्शियों को आमंत्रित कर यह सभा के निर्माण किया। जोड़े दिनों के लिए संविधान के प्रारूप को संवैधानिक का-निवेश के लिए रखकर इस पर जनमत संग्रह ले लिया गया।

10. संसदीय तथा अध्यात्मक प्रणालियों का मिश्रण : — पंचम गणतंत्र का संविधान संसदीय तथा अध्यात्मक, शासन प्रणाली के का मिश्रण है। कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र से अलग रखा गया है। और कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रपति को वारसात्मक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। वि. गोखले के अनुसार "यह संविधान न तो अमेरिका के तरह अध्यात्मक है और न ब्रिटेन के तरह संसदीय, बल्कि यह दोनों मिश्रण है।

अन्त में निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि अस के पंचम गणतंत्र का संविधान पूर्व के संविधान से अच्छा है। पंचम गणतंत्र के संविधान ने सरकार को स्थापित्व प्रदान किया है। यह संविधान अन्तर्राष्ट्रीय कानून अन्तर्राष्ट्रीय संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति को मान्यता देता है। इस द्वारा संविधान तृतीय तथा चतुर्थ गणतंत्र के संविधानों से विभिन रूप से अलग है।